शालाओं में ग्रांट इन एड पालिसी

M Ed 3rd semester
Financial Management

Mrs. Neela Chaudhary
IASE, Bilaspur (C.G.)

पृष्ठभूमि –

- 1852–53 में वुडस् डिस्पेच के द्वारा प्राइवेट व सहयोगी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने का प्रावधान दिया।
- सन् 1950 धारा (282) से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले अनुदान (Plan Grant) के लिए योजना आयोग का गठन किया।
- केन्द्र से राज्य सरकारों को दिए संसाधनों के वितरण में वित आयोग द्वारा धारा 275(1) के तहत् प्रत्येक राज्यों को दिए जाने वाले राजस्व के अनुदान को निर्धारित करती है।
- ऐसी सभी निजी शैक्षिक संस्थाएं जो शासकीय नियमों के अधीन निरीक्षण व जानकारीयों की सहमति देते हैं। उन्हें शासकीय अनुदान प्रदाय किया जाता हैं।
- संस्था को आनुपातिक अनुदान प्रदान करनें की नीति अपनाई जाती है, जिसमें संस्था की आवश्यकता, उपयोगिता एवं संस्था के कुल अनुमानित व्यय से कुल संसाधनों को घटाकर प्रदाय घाटा अनुदान की राशि का निर्धारण किया जाता हैं।
- अनुदान की नीति दो सिद्वांतों पर कार्य करती हैं – आनुपातिक अनुदान प्रकिया एवं घाटा/नुकसान निर्धारण सूत्र।
- ग्रान्ट इन एड वास्तव में शैक्षिक उददेश्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की सुविधाएं है, जिसे सामान्य व विशेष अनुदान में बांटा जा सकता है। सामान्य अनुदान में शालेय विकास, सेलेरी व शोध संबंधी वित शामिल होता हे तथा विशेष अनुदान में आकस्मिक वित शामिल होता हैं।

यह त्रिस्तरीय (Three layered) प्रकिया होती है। केन्द्र, राज्य एवं ग्रामीण व शहरी निकाय।

- मुख्यतः तीन प्रकार के federal grants जो state govt व local bodies को दिए जाते हैं Categorial Grant, block Grant & General revenue sharing
- ग्रांट व ग्रांट इन एड में अंतर – प्रथम विभिन्न विशेष योजना, कियाकलापों व गतिविधियों के लिए योजना आयोग व वित्त आयोग के द्वारा प्राप्त कर से आनुपातिक राशि प्रदान की जाती हैं, जबकि द्वितीय प्रकार मे किसी संस्था को खोलने व अपग्रेड करने के लिए किसी विशेष परियोजना के तहत राज्य व केन्द्र शासन द्वारा वित्त प्रदान किया जाता हैं।
- 1989 में बनी ग्रांन्ट इन एड पालिसी
  गैरवित्त पोषित प्राथमिक शालाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत निजी शालाओं को आर्थिक सहायता व मूलभूत ढ़ांचा उपलब्ध करने का प्रावधान शामिल किया गया।
- ग्रान्ट इन एड की प्रकृति – मुख्यतः यह सहायता, डोनेशन, सहभागिता के रूप में होती है। यह कैश, संसाधन, एजेंसी या सहयोग के रूप में होती हैं। (contribution one govt to another govt., body, institution or individual)
- केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत् तथा pass through nature का होता है। कुछ वित संघीय सरकार द्वारा सीधे ही DRDA & SPVs के माध्यम से स्थानीय निकायों को दिया जाता है।

अनुदान दो प्रकार के होते हैं –

आवर्ती अनुदान

अनावर्ती अनुदान

- आवर्ती अनुदान – के अंतर्गत ऐसे खर्च जो शाला संचालन के लिए सतत रूप से किए जा रहे है जैसे कर्मचारीयों का वेतन, शाला भवन का किराया/ मरम्मत, बिजली पानी का बिल, डाक व्यय, परीक्षा खर्च रखरखाव इत्यादि शामिल होता हैं। पूर्व माध्यमिक व हाई स्कूल में यह कुल घाटे का 2/3 भाग होता है जो कक्षा 6 व 8 के शुरूआत में प्रदान किया जाता हैं, यह राशि कम से कम 30/– से 75/– प्रति माह क्रमशः बच्चें के शैक्षिक सत्र के आरम्भ से अंतिम सर्टिफिकेट परीक्षा तक होती हैं। प्रथम 3 वर्ष minimum राशि प्राप्त करने के पश्चात संस्था कुल घाटे का 2/3 भाग प्राप्त करने के योग्य हो जाती हैं। 1961 में pay scale के पुनःरीक्षण के पश्चात संस्था के अतिरिक्त व्यय का 3/4 भाग अनुदान के रूप में प्रदान करने का प्रावधान हैं। 1979 अधिनियम के अनुसार शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं को 100 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान हैं।

- अनावर्ती अनुदान व्यय – के अंतर्गत आकस्मिक व कभी–कभी किए जाने वाले खर्च शामिल होते हैं। जैसे पंखें वाटर कूलर खरीद, कम्प्यूटर, फर्नीचर खरीद इत्यादि शामिल होता हैं।
- संस्थाओं को कुल अनुमानित खर्च का 50 प्रतिशत प्रदान कराया जाता हैं। बाकी 50 प्रतिशत मेनेजमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। बालिकाओं की तथा पिछड़े क्षेत्रों की शालाओं में 60 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है जो शाला बिल्डिंग फर्नीचर लैब उपकरण इत्यादि के लिए प्राप्त होती हैं।
- बालिकाओं की शालाओं में होस्टल व शिक्षक क्वार्टर के निर्माण हेतु अनंमानित व्यय का 100 प्रतिशत प्राप्त होता हैं।
- कोठारी कमीशन 1964–66 के अनुमोदन के अनुसार कुल अनावर्ती व्यय की राशि कुछ विशेष परिस्थितयों में जैसे पिछडें गरीब क्षेत्र व बालिकाओं की शाला में बढ़ाई जा सकती हैं।
- सरकार से संस्था को दिए जाने वाले अनुदान को निम्न चार भागों में भी बांटा जाता हैं –
- Salary Grant
- Non-salary Grant
- Resources Grant
- Other Specific Grant

New Components in aid in Policy in 2018

- Opening of new/ upgraded schools – Preferred in Educationally backward blocks, Border areas, special focused districts & 115 aspirational districts.
- Residential Schools/Hostels – for reaching out to children in hilly and densely forest areas with difficult geographical and border areas.
- Strengthening of existing Schools – for Science and Math's Lab, computer room, art cultural room, library, water & toilet, essential classroom furniture, infrastructure, major repair, electrification etc.
- Transport/ Escort facility – for children in remote habitations, where GAR gross access ratio is low.
- Free uniforms
- Free textbooks
- Expenditure for 25% of admission under RTE Act.
- Media & community Mobilization – for enhance community participation and monitoring for universal access, equity & quality. Preparation audio-video print material / workshop/seminar/ Innovation etc.
- Composite School Grant – for functional school equipment etc.

Thank You